चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/1842
दिनांक: 24-07-2019

प्राचार्य / प्राचार्या / निदेशक / सचिव,
समस्त सम्बद्ध राजकीय अनुदानित, चिकित्सकीय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालय / संस्थान,
चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ।

विषय— दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के 2019—20 के अंतर्गत कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण में सूचनार्थ यह प्रेषणीय है कि शासनादेश संख्या—138 / 2019 / 2124 / 26—3—2019—4(358) / 07टी.सी. III दिनांक 04.06.2019 के अर्न्तगत विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालयों के द्वारा scholarship Portal पर भरे गये निम्न सूचनायें उपलब्ध कराने का कष्ट करें जो निम्न है:—

1. विश्वविद्यालय से सम्बद्ध राजकीय, अनुदानित एवं स्ववित्तपोषित महावविद्यालयों में संचालित पाठ्यकमों का नॉन रिफन्डेबल राशि एव ट्यूशन फीस को प्रमाणित करते हुए प्रेषित करने का कष्ट करें।
2. महाविद्यालय के प्रोफाइल की फोटो कॉपी जो छात्रवृत्ति के पोर्टल पर भरा गया है, जिसमें प्राचार्य /प्राचार्या एवं नोडल अधिकारी का नाम अंकित है कि सम्बन्ध में विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित महाविद्यालय में प्राचार्य / प्राचार्या के अनुमोदन की छायाप्रति (राजकीय एवं अनुदानित महाविद्यालयों को छोड़कर) यदि अपलोड है तो प्राचार्य / प्राचार्या का छः माह का वेतन स्टेटमेन्ट संलग्न करते हुए प्रस्तुत करें।
3. NAAC एवं AISHE का प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
4. Scholorship Portal पर अपलोड किये गये डिजिटल सिग्नेचर की छायाप्रति।
5. स्ववित्तपोषित महाविद्यालय मे संचालित MBBS, BDS, MDS, BAMS and Paramedical पाठ्यकम में महाविद्यालय द्वारा भरे गये शुल्क, जो राज्यसरकार द्वारा अनुमोदित हो कि छायाप्रति।
6. किसी भी जानकारी के लिए श्री संतोष प्रसाद सिंह, मोबा0 न0 9410493614 से सम्पर्क कर सकते हैं।

अतः आप उपरोक्त सूचनायें सत्यापित कर दिनांक 02.08.2019 से पूर्व अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें, अन्यथा स्थिति में महाविद्यालय स्वयं जिम्मेदार होगा।

धन्यवाद।

24-7-19
कुलसचिव

प्रतिलिपिः—

1. सचिव कुलपति— मा0कुलपति जी को सूचनार्थ।

कुलसचिव